डिगरी बमूकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम रियॉबडी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर ए एस

वादी
1--रामनिवास पुत्र उगाराराम
जाति जाट निवासी डूकिया तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :--
1--ओमप्रकाश पुत्र उगराराम
2--गुटकाई पत्नि शिवलाल
3--सुशील पुत्र शिवलाल
4--शोभाराम पुत्र शिवलाल
5--छोटाराम पुत्र शिवलाल
सभी जातिमान जाट निवासीगण डूकिया तहसील रियांबड़ी
6--तहसीलदार रियांबड़ी
7--पटवार हलका भंवाल

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व बंटवारा, अन्तर्गत धारा 88,53 रा.का.अ 1955. मुकदमान राजस्व वाद संख्या-- 275/2017 यह मुकदमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :--

1--वादी रामनिवास के बंट में--
मौजा डूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 2.2800 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.9700 हैक्टर व खसरा नंबर 475 रकबा 1.000 हैक्टर में सें रकबा 0.50 हैक्टर तथा खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1368 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

2-- प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के बंट में --
मौजा डूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 1.4700 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.4800 हैक्टर व खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1366 हैक्टर तथा खसरा नंबर 414 रकबा 0.1300 हैक्टर में सें रकबा 0.06500 हैक्टर व खसरा नंबर 464 रकबा 1.0400 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

3--प्रतिवादी गण संख्या 2 से 5 गुटकाई,सुशील,शोभाराम व छोटाराम के बंट में--
मौजा डूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 1.4700 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.9700 हैक्टर व खसरा नंबर 475 रकबा 1.000 हैक्टर में सें रकबा 0.50 हैक्टर तथा खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1366 हैक्टर,खसरा नंबर 414 रकबा 0.1300 हैक्टर में सें 0.06500 हैक्टर,खसरा नंबर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

तहसीलदार रियांबड़ी संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के बीच उपरोक्तानुसार बंटवारा करके राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा अलग--अलग नक्शे में तरमीम की जाकर लगान कायम करें।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बैंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
रियॉबड़ी(नागौर)

(2)

रामनिवास बनाम ओमप्रकाश

..................र्लेत..................मुबलिक..............बाबात............खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर..........
फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक..............का अदा करें।

वसीबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :– 8/11/12

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रिखांबड़ी (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक		८	मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकेन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 275 / 2017

वादी
1—रामनिवास पुत्र उगराराम
जाति जाट निवासी डूकिया तहसील रियांबड़ी जिला नागौर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1—ओमप्रकाश पुत्र उगराराम
2—गुटकाई पत्नि शिवलाल
3—सुशील पुत्र शिवलाल
4—शोभाराम पुत्र शिवलाल
5—छोटाराम पुत्र शिवलाल
सभी जातियान जाट निवासीगण डूकिया तहसील रियांबड़ी
6—तहसीलदार रियांबड़ी
7—पटवार हलका भंवाल

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट 1955

वकील वादी—श्री कैलाशराम कलवानियां
वकील प्रतिवादीगण—श्री घनश्याम खालिया

निर्णय

दिनांक :— 8/11/17

वादी ने यह राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट 1955 के अंतर्गत पेश कर निवदेन किया कि :—
1—यह है कि वाद व प्रतिवादीगण हिन्दु है। हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते हैं।
2—यह है कि मौजा डूकिया की सरहद में खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर,खसरा नंबर 414 रकबा 0.1300 हैक्टर,खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर,खसरा नंबर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर,खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर,खसरा नंबर 464 रकबा 1.0400 हैक्टर,व खसरा नंबर 475 रकबा 1.000 हैक्टर कुल रकबा 10.2300 हैक्टर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम से खातेदारी में स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की पैतृक सहखातेदारी की है।
3—यह है कि पैरा संख्या 2 में बताई खसरान की भूमि वाद में आगे विवादित खसरान से संबोधित की जायेगी।
4—यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवारा पक्षकारान ने अलग अलग हुए तब जुबानी रूप से कर लिया था जो निम्न प्रकार से है।
1—वादी रामनिवास के बंट में—
मौजा डूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 2.2800 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.9700 हैक्टर व खसरा नंबर 475 रकबा 1.000 हैक्टर में से

सहायक कलक्टर
रियांबड़ी(नागौर)

रकबा 0.50 हैक्टर तथा खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1368 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

2— प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के बंट में —

मौजा झूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 1.4700 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.4800 हैक्टर व खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1366 हैक्टर तथा खसरा नंबर 414 रकबा 0.1300 हैक्टर में सें रकबा 0.06500 हैक्टर व खसरा नंबर 464 रकबा 1.0400 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

3—प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 गुटकाई,सुशील,शोभाराम व छोटाराम के बंट में—

मौजा झूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 1.4700 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.9700 हैक्टर व खसरा नंबर 475 रकबा 1.000 हैक्टर में सें रकबा 0.50 हैक्टर तथा खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1366 हैक्टर,खसरा नंबर 414 रकबा 0.1300 हैक्टर में सें 0.06500 हैक्टर,खसरा नंबर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

उपरोक्त मुतनाजा आराजी का बंटवारा पेरा नंबर 4 में बताये अनुसार किया जाकर वाद के साथ नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का अलग अलग बंट किया जाकर अलग अलग खातेदारी घोषित फरमायी जावें व अलग अलग तरमीम किया जावें।

5—यह है कि माफिक बंट के अपने अपने बंट की भूमि पर पक्षकार काश्त व काबिज है तथा मौके पर धोरे पालियां डालकर सीवें मातें कायम की हुई है। वादी व प्रतिवादीगण का माफिकक बंट के खातेदारी में नाम नहीं होने से वादी को भारी परेशानियां हो रही है। इसलिए बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में करवाने बाबत यह वाद पेश किया जा रहा है।

अत: वादी की इस्तदुआ यह है कि विवादित खसरान का बंटवाड़ा वादपत्र के पैरा संख्या 4 में बताये अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर माफिक बंटवारा के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावें। वादी व प्रतिवादीगण का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जाकर अलग अलग तरमीम करवाई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिए सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 6 बाद तामिल के अनु0रहने पर उनके विरुध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है जो पेश है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद की इस्तदुआ अनुसार हमारा बंटवारा कर दिया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान के बीच राजीनामा हो गया है और राजीनामा के अनुसार इनका बंटवारा कर दिया जावें। क्योंकि विवादित आराजी इनकी पैतृक भूमि है। वादपत्र के पेरा संख्या 4 में बताये अनुसार एंव संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार पक्षकारान का बंटवारा कर दिया जावे तो कोई ऐतराज नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजुद जमाबंदी मौजा झूकिया संवत् 2071—2074 एंव पक्षकारान के बीच हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि विवादित आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है जिसका बंटवारा मौके पर किया हुआ है मगर राजस्व रेकर्ड में मौके अनुसार बंटवारा नहीं है जिससे उनको भारी परेशानियां हो रही है। अतः पैतृक भूमि का बंटवाड़ा किया जाना लाजमी प्रतीत होता है।

समस्त विवेचन से वादी का वाद जरिए राजीनामा के स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच निम्न प्रकार से बंटवाड़ा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है:—

1—वादी रामनिवास के बंट में—

सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

"मौजा डूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 2.2800 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.9700 हैक्टर व खसरा नंबर 475 रकबा 1.000 हैक्टर में सें रकबा 0.50 हैक्टर तथा खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1368 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

2– प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के बंट में –

मौजा डूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 1.4700 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.4800 हैक्टर व खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1366 हैक्टर तथा खसरा नंबर 414 रकबा 0.1300 हैक्टर में सें रकबा 0.06500 हैक्टर व खसरा नंबर 464 रकबा 1.0400 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

3–प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 गुटकाई,सुशील,शोभाराम व छोटाराम के बंट में–

मौजा डूकिया के खसरा नंबर 46 रकबा 5.2200 हैक्टर में सें रकबा 1.4700 हैक्टर व खसरा नंबर 452 रकबा 2.4200 हैक्टर में सें रकबा 0.9700 हैक्टर व खसरा नंबर 475 रकबा 1.000 हैक्टर में सें रकबा 0.50 हैक्टर तथा खसरा नंबर 415 रकबा 0.4100 हैक्टर में सें रकबा 0.1366 हैक्टर,खसरा नंबर 414 रकबा 0.1300 हैक्टर में सें 0.06500 हैक्टर,खसरा नंबर 451 रकबा 0.0100 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

तहसीलदार रियांबड़ी संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के बीच उपरोक्तानुसार बंटवारा करके राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम की जाकर लगान कायम करें। इसी आशय का डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोट: उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बेंक में रहन रखा हो तो यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी
सहायक कलक्टर रियांबड़ी(नागौर)

निर्णय आज दिनांक 8|11|17 को बइजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी
सहायक कलक्टर रियांबड़ी(नागौर)